न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 46/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष गुप्ता
पंजीकृत कार्यालयः– भारतीय स्टेट बैंक, भवन, एम.सी. रोड़, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र 400021
शाखा कार्यालयः–भारतीय स्टेट बैंक, (SARB) तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर–4, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान 302004

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स शिव मार्बल्स जरिये प्रोपराईटर पता** खसरा संख्या 580/396, कांवट रोड़, खण्डेला मोड़ के पास, जोधावाली ढ़ाणी जिला सीकर राजस्थान 332708
2. **प्रहलाद वर्मा पुत्र बनवारी लाल** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028
3. **धमेन्द्र नेहरा पुत्र हरचन्द राम** ग्राम किठाणा झुंझुनु, राजस्थान 333028
4. **सुनिता देवी कुमावत पत्नी प्रहलाद वर्मा** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028
5. **कृष्ण कुमार पुत्र रणधीर सिंह** सुल्ताना रोड़ के पास, किठाणा, झुंझुनु, राजस्थान 333028
6. बनवारी लाल (फौत) जरिये समस्त विधिक वारिसान
   1) **महेश कुमार वर्मा पुत्र बनवारी लाल** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028
   2) **राकेश वर्मा पुत्र बनवारी लाल** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028
   3) **दिनेश कुमार वर्मा पुत्र बनवारी लाल** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028
   4) **कृष्ण वर्मा पुत्र बनवारी लाल** सुल्ताना रोड़ के पास, किठाणा, झुंझुनु, राजस्थान 333028

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5) **रतनी देवी पत्नी बनवारी लाल** ग्राम सुल्ताना, झुंझुनु, राजस्थान 333028

6) **मुकेश कुमार वर्मा पुत्र बनवारी लाल** सुल्ताना रोड़ के पास, किठाणा, झुंझुनु, राजस्थान 333028

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 580/396, खण्डेला मोड़ के पास, जोधावाली ढ़ाणी जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है।** जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 6298.50 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में अन्य भूमि, दक्षिण दिशा में अन्य भूमि, पूरब दिशा में अन्य भूमि व पश्चिम दिशा में रास्ता है। आवेदन में बंधक सम्पति का Hypothecation निम्नानुसार होना अंकित किया है।
Hypothecation Cureent assets including stock, stock in trade, receivable, consumable stores and entire current assets and hypothecated Movable Plant & Machinery etc. Of the company mention in the documents (Schedule B) Hypothecation of stock/receivable both current and future Hypothecation of Plant & machinery created out Bank finance
उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹30,00,000/— (अक्षरे रूपये तीस लाख), ₹1,50,00,000/— (अक्षरे रूपये एक करोड़ पचास लाख) एवं ₹45,00,000/— (अक्षरे रूपये पैंतालिस लाख)** कुल ₹2,25,00,000/— **(अक्षरे रूपये दो करोड़**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पच्चीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.10.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.10.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 580/396, खण्डेला मोड़ के पास, जोधावाली ढ़ाणी जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है।** जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 6298.50 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में अन्य भूमि, दक्षिण दिशा में अन्य भूमि, पूरब दिशा में अन्य भूमि व पश्चिम दिशा में

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रास्ता है। आवेदन में बंधक सम्पति का Hypothecation निम्नानुसार होना अंकित किया है।

Hypothecation Cureent assets including stock, stock in trade, receivable, consumable stores and entire current assets and hypothecated Movable Plant & Machinery etc. Of the company mention in the documents (Schedule B) Hypothecation of stock/receivable both current and future Hypothecation of Plant & machinery created out Bank finance

उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)